राजस्थान सरकार

निर्णय बइजलास द्वारा श्री शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्र0सं0 75/2015/रेवाद/ निर्णय दिनांक :– 29.08.2019

अनवान

1. श्री देवीलाल पिता पोकरजी रायका निवासी भारतसिंह जी का गुडा तहसील देवगढ़
2. श्री मोहन पिता पोकरजी रायका निवासी भारतसिंह जी का गुडा तहसील देवगढ़
3. श्री पन्ना पिता पोकरजी रायका निवासी भारतसिंह जी का गुडा तहसील देवगढ़

——वादीगण

बनाम

1. श्री लालु पिता मोती रेगर निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़
2. श्री देवा (देवीलाल) पिता जोधा रेगर निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ
3. श्री गोपा (गोपीलाल) पिता जोधा रेगर निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़
4. श्रीमति हंजा पिता जोधा रेगर निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़
5. श्रीमति भोली पिता जोधा रेगर निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़
6. श्रीमति मांगी पिता जोधा रेगर निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़
7. श्रीमति चन्द्री बेवा जोधा रेगर निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़
8. श्री तोलीराम पिता मोडा जी रेगर निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़
9. श्री गंगाराम पिता मोडा जी रेगर निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़
10. श्री बद्रीलाल पिता मोडा जी रेगर निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़
11. श्रीमति सन्तु पिता मोडा जी रेगर निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़
12. श्रीमति हरकी पिता मोडा जी रेगर निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़
13. श्रीमति घीसी पिता मोडा जी रेगर निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़
14. श्री लादुलाल पिता मांगु जी बलाई निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़
15. श्री चतरू पिता उदा जी बलाई निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़
16. श्री मन्दरूप पिता हजारीजी रायका निवासी भारत सिंह जी का गुडा तहसील देवगढ़

——प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91,188

उपस्थित :– 1. श्री छोगालाल वकील वादी

वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि ग्राम अनोपपुरा पटवार हल्का कुन्दवा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में स्थित भूमि के खसरा नम्बर 55 रकबा 1.00, खसरा नम्बर 56 रकबा 0.19, खसरा नम्बर 57 (शा.न. 58) रकबा 0.09, खसरा नम्बर 59 रकबा 0.07, खसरा नम्बर 60 रकबा 1.11, खसरा नम्बर 54 रकबा 2.05 कुल किता 6 रकबा 6.11 बीघा राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं जिसके खातेदार नेना व प्रताप का लाऔलादगी में स्वर्गवास हो गया हैं। उक्त वर्णित खसरा नम्बर की भूमि किता 6 रकबा 6.11 बीघा जो पूर्व में प्रतिवादी

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

संख्या 1 से 6 व प्रतिवादी संख्या 8 से 13 के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 7 के दादिया ससुर मोती पिता नंगजी रेगर निवासी अनोपपुरा के स्वामित्व व कब्जे काश्त की थी जिसमें वादी संख्या 1 से 3 के पिता पोकर जी पिता नारायण जी रायका व प्रतिवादी संख्या 16 के पिता हजारी जी पिता नारायण जी रायका निवासी भारत सिंह जी का गुडा को रूपये 2000 रूपये दिनांक 18.10.1949 को रूपये लेकर बेचान कर दी जिसका लिखतम उसने वादी संख्या 1 से 3 के पिता पोकर जी व प्रतिवादी संख्या 16 के पिता हजारी जी के हक में उनकी बही में लिखवाकर उस पर विक्रेता मोती ने अंगूठा निशानी लगाकर गवाहान करा भूमि बेची। सारी भूमि का कब्जा विक्रेता मोती ने क्रेता वादी संख्या 1 से 3 के पिता पोकर जी को एवं प्रतिवादी संख्या 16 के पिता हजारी जी को दिनांक 18.10.1949 को कब्जा सिपुर्द करा दिया तथा उसके बाद विक्रेता मोती ने अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र जो वादी संख्या 1 से 3 के पिता पोकर जी रायका व प्रतिवादी संख्या 16 के पिता हजारी जी रायका के पक्ष में उनकी बही में लिखवाकर गवाहान कर उसने उसका निशानी अंगूठा लगाकर दोनो क्रेताओ पोखर व हजारी जी को भूमि का कब्जा सिपुर्द कर दिया तथा दिनांक 04.07.1966 को स्टाम्प पर 1500 रूपये का उसके लडके रामा ने जो उदा रेगर के गोद चला गया ने अंकित करा उस पर उनके हस्ताक्षर कर व मोती ने उसका अंगूठा निशानी लगाकर उस बेचाव पत्र को उपपंजियक देवगढ़ के यहां वादी संख्या 1 से 3 के पिता पोकरजी व प्रतिवादी संख्या 16 के पिता हजारी जी रायका के पक्ष में पंजियन करा दिया। उक्त भूमि पूर्व में दिनांक 18.10.1949 को अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर सिपुर्द की तथा दिनांक 04.07.1966 को उक्त वर्णित रजिस्टर्ड बेचाव करा दिया। भूमि के बेचाव एवं खरीद के समय राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 नहीं बना था। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 में बना जिससे राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। वादी को इसकी जानकारी तहसील देवगढ से जमाबंदी की नकले लेने पर हुई। वादी ने प्रतिवादी को उनके नाम गलत खाते दर्ज भूमि को उनके नाम से हटाकर वादी के नामदर्ज कराने के लिये कहां लेकिन प्रतिवादीगण ने ऐसा नहीं किया जिस पर वादी को वाद के लिये विवश होना पडा। अतः वादी का स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त आराजीयात को प्रतिवादीगण के नाम हटाकर वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने के आदेश प्रदान करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को मय नकल वाद पत्र के सम्मन जारी किये गये। प्रत्युतर में प्रतिवादी संख्या 1,2,8,9 की और से वकील श्री उग्र प्रताप सिंह ने वकालत नामा पेश किया तथा अन्य प्रतिवादीगण की और से अण्डर टेकिंग की तथा दिनांक 16.03.1916 को पत्रावली की आर्डरशीट पर लिख कर विपक्षीगण की अण्डर टेंकिग वापस ली। अधिवक्ता द्वारा अण्डर टेकिंग वापस होने एवं प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। वकील वादी ने गवाहान के शपथ पत्र पेश किये जो शामिल फाईल किये गये। प्रतिवादी संख्या 16 ने जवाब दावा पेश किये जो शामिल फाईल की

सहायक कलेक्टर

गई। वकील वादी ने बहस में निवेदन किया हैं कि वादी संख्या 1,2,3 के पिता पोखरजी और प्रतिवादी संख्या 16 के पिता हजारी जी रायका निवासी भारतसिंह जी का गुडा ने ग्राम अनोपपुरा की वाद ग्रस्त आराजी किता 6 रकबा 6.11 बीघा भूमि दिनांक 18.10.1949 को मोती पिता नंगा जी रेगर निवासी अनोपपुरा से खरीद कर कब्जे में ली व उसका लिखतम विकता ने वादी की बही में लिखवाकर उसका अंगूठा लगाकर व गवाह करवा दी थी जो सभी गवाहान मर चुके हैं कोई जिन्दा नहीं हैं प्रतिवादी संख्या 16 के पिता हजारी जी रायका निवासी भारतसिंह जी का गुडा के हक में दिनांक 04.07.1966 को रजिस्टर्ड बेचाव नामा मालियात 1500 रूपये का करा दिया व उसपर विकेता ने अंगूठा लगा गवाह करा दिये। उस समय बोला जाति के व्यक्ति की भूमि स्वर्ण जाति के व्यक्ति द्वारा खरीद किये जाने की कोई रोक टोक नहीं थी। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के नाम हटाकर वादी के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करावें।

हमने वादी के वादपत्र, जवाब दावा प्रतिवादी संख्या 15, नकल जमाबंदी, गवाह शपथ पत्र एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील वादी की बहस पर मनन किया। भूमि का बेचाव व खरीद दिनांक 18.10.1949 को हुआ उस समय राजस्थान टिनेन्सी एक्ट नहीं बना थी लेकिन भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 04.07.1966 को हुआ उस समय राजस्थान टिनेन्सी एक्ट लागू हो गया था। वादग्रस्त भूमि मोती पिता नंगजी रेगर जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति था जिसने पोकर जी पिता नारायण जी रायका एवं हजारी जी पिता नारायण जी रायका को 2000 रूपये में बेचान की थी। जिसे वादीगण उनके नाम रेकार्ड में दर्ज कराना चाहते हैं। वर्तमान में राजस्थान टिनेन्सी एक्ट लागू हैं जिसकी धारा 42 का उल्लघन हैं। अतः अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि स्वर्ण जाति के व्यक्तियों के नाम दर्ज नहीं की जा सकती हैं। अतः वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द